

अज अदालत सहायक कुलम्वर रोड S.O. मुकाम वायड

सुरताराम बनाम सुभ्राम वर्मा

किस्म मुकदमा राजस्थान 111,128 RLR Act नं. 130/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/04/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश गौड़</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RLR Act</u> राजस्थान काश्तकारी/भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>13/05/19</u> को पेश हो।</p>	
13/05/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी/गिण्टे के न्युम्वर तामिल कुञ्जु प्राप्त जिले तामिल पञ्जावली शीमा गण/ विप्रार्थी/गिण्टे वावकुड तामिल कुञ्जु उपस्थित/ न्यायालय समय तीन वार आवाज लगाई गई क्विंटम आवाज 5-45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी/गिण्टे स्वयं या उनकी ओर के ओर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट काश्तकारी क्रम में लई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति कडम हुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने कतथा ही प्रार्थी के अपने श्वातेदारी खेतों के चारों ओर पन्डे न्युम्वर तामिल कुञ्जु कडवाना कावप्रथु है इसलिये प्रार्थी का न्युम्वरवनी आवेडन</p>	

स्वीकार किया जाकर नैष्कर्म्यता प्रोत्साहित किया जावे।  
अतः पार्थी साधिवक्ता के निवेदन  
पर पार्थी का नैष्कर्म्यता प्रोत्साहित स्वीकार किया जाकर  
तटस्थता का अर्थ को उचितानुसार निश्चित किया जाता है।  
क प्रोत्साहित किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिकाधिक  
किसी भी अंग अमिलेय निरिच्छत से पार्थी के व्यावहारिक व्यवहार  
की पन्ही नैष्कर्म्यता मोठे पर शुद्ध जमाउताउत करे पालना  
रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली प्रकल्प  
सुमार दोहरा दर्ज नाम्बर से उम हो दाखिल दफ्तर हो

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2019/ 302

दिनांक:- 13/05/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सुरताराम पुत्र कबीराराम जाति मेगवाल वगैरा 4  
निवासी थाकणों की ढाणी अकदड़ा  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. लुम्भाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 21  
निवासी थाकणों की ढाणी अकदड़ा  
तहसील बायतु(बाड़मेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या 130 /19/

**आदेश**

मौजा थाकणों की ढाणी पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्र. 106, 128/50, 133/106 रकबा क्रं. 8.01, 12.00, 34.00 बीघा कुल रकबा 54.01 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमांक/वाद/2019/ 303 to 307

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सुरताराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री लुम्भाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर  
दिनांक:- 13/05/19

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर